

संचिका सं०-10/अति०-08-18/2017

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय आवंटनादेश संख्या-13(10)ब, दिनांक-27.11.2017, 14(10)ब, दिनांक-29.11.2017, 16(10)ब, दिनांक-12.12.2017, 17(10)ब, दिनांक-12.12.2017, 18(10)ब, दिनांक-15.12.2017, 19(10)ब, दिनांक-18.12.2017 एवं 22(10)ब, दिनांक-11.01.2018 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. आवंटनादेशों में अंकित "आवंटन की स्वीकृति दी जाती है" के स्थान पर "आवंटन दी जाती है" पढ़ा जाय।

3. शेष यथावत रहेंगे।

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-10/अति०-08-18/2017 25 (10) ब स्वा०, पटना, दिनांक:-24/01/2018

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, बिस्कोमान भवन, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक प्रमुख-सह-निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10/संबंधित सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।